



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
शमनिकाठ पुत्र कामराम पुत्र पारपुत्र	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	326 / 2021	GCMS No. 2021 / 1123
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्जिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/12/2021	<p>वादी श्री शमनिकाठ पुत्र कामराम जाति पार निवासी पारपुत्र द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत पारपुत्र में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2076-2078 ग्राम पारपुत्र पटवार मण्डल मारवा के खाता नम्बर 4 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि शमनिकाठ पुत्र कामराम दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम शमनिकाठ पुत्र कामराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 315695108495- मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी मारवा भू.अ.नि. कामराम एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
		 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

1320-1322